

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 नवम्बर, 2015

का. आ. 3045(अ).— जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 02.07.1996 की

अधिसूचना सं. का. आ. 469(अ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने "मारिया सेवा संघ, विल्ला मारिया, संख्या 12, रेस्ट हाउस रोड, बैंगलुरु-560001" द्वारा "बैंगलुरु के 18 स्कूलों में मध्याह्न भोजन की स्कीम" की परियोजना को निर्धारण वर्ष 1997-98 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं. 4 पर अधिसूचित किया था, और जिसे बाद में दिनांक 11 मई, 1999 की अधिसूचना सं. का. आ. 317(अ) के तहत निर्धारण वर्ष 2000-2000 को प्रारंभ होने वाली दो वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था ; जिसे बाद में दिनांक 20 जून, 2001 की अधिसूचना सं. का. आ. 552(अ) द्वारा निर्धारण वर्ष 2002-03 को प्रारंभ होने वाली दो वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था ; जिसे बाद में दिनांक 13 जून, 2003 की अधिसूचना सं. का. आ. 688(अ) द्वारा निर्धारण वर्ष 2004-05 को प्रारंभ होने वाली एक वर्ष की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था ; और जिसे बाद में दिनांक 23 मार्च, 2005 अधिसूचना सं. का. आ. 398(अ) के तहत निर्धारण वर्ष 2004-05 को प्रारंभ होने वाली दो वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था ; जिसे बाद में दिनांक 04 सितंबर, 2006 की अधिसूचना सं. का. आ. 1407(अ.) के तहत वित्तीय वर्ष 2006-07 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था और जिसे बाद में दिनांक 25 मार्च, 2009 की अधिसूचना सं. का. आ. 836(अ) के तहत वित्तीय वर्ष 2009-10 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था ; जिसे बाद में दिनांक 25 मार्च, 2009 की अधिसूचना सं. का. आ. 836(अ) के तहत वित्तीय वर्ष 2009-10 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था और जिसे बाद में दिनांक 12 मार्च, 2013 की अधिसूचना सं. का. आ. 639(अ) के तहत वित्तीय वर्ष 2014-15 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था ;

और जबकि दिनांक 27.03.1997 की अधिसूचना सं. का. आ. 260(अ) के द्वारा अनुमानित लागत को 2.30 लाख रुपए से बढ़ाकर 15.00 लाख रुपए कर दिया गया था, जिसे दिनांक 27.11.2003 की अधिसूचना सं. सां. आ. 1371(अ) द्वारा अनुमानित लागत को 15.00 लाख रुपए से बढ़ाकर 30.00 लाख रुपए कर दिया गया था, जिसे दिनांक 04.09.2006 की अधिसूचना सं. का. आ. 1407(अ) के द्वारा अनुमानित लागत को 30.00 लाख रुपए से बढ़ाकर 50.00 लाख रुपए कर दिया गया था, जिसे दिनांक 11.08.2011 की अधिसूचना सं. का. आ. 1869(अ) के द्वारा अनुमानित लागत को 50 लाख रुपए से बढ़ाकर 75 लाख रुपए कर दिया गया था और जिसे 12.03.2013 की अधिसूचना सं. का. आ. 639(अ) के द्वारा अनुमानित लागत को 75.00 लाख रुपए से बढ़ाकर 90.00 लाख रुपए कर दिया गया था;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के अठारह वर्षों से अधिक चलने की संभावना है ;

और जबकि परियोजना लागत को 90.00 लाख रुपए से बढ़ाकर 1.00 करोड़ रुपए तक करने की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाने और परियोजना लागत को 90.00 लाख रुपए से बढ़ाकर 1.00 करोड़ रुपए तक करने की सिफारिश की है ;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, (क) एतद्वारा "मारिया सेवा संघ, विल्ला मारिया, संख्या 12, रेस्ट हाउस रोड, बैंगलुरु-560001" द्वारा चलाई जा रही "बैंगलुरु के 18 स्कूलों में मध्याह्न भोजन की स्कीम" की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2015-16 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि अर्थात् 2015-16, 2016-17 और 2017-2018 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है और ;

(ख) दिनांक 2 जुलाई, 1996 की उक्त अधिसूचना सं. का. आ. 469(अ0) को निम्नलिखित आशय से संशोधित करती है, नामतः-

उक्त अधिसूचना में, क्रम सं. 4 के सामने तालिका में, धारा 35 क ग के तहत कटौती के रूप में अनुमत की जाने वाली अधिकतम राशि से संबंधित कालम (4) में "90.00 लाख रुपए" संबंधी अक्षरों, अंकों और शब्दों के लिए "1.00 करोड़ रुपए" अक्षर, अंक और शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।'

[सं. 235/2015/फा. सं. वी -27015/3/2015 एस ओ(रा. स.)]

मकखन लाल मीना, उप सचिव(राष्ट्रीय समिति)